



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/4411

भिलाई, दिनांक 05/07/2022

// आदेश //

नगर पालिक निगम, भिलाई में ठेकेदारी पंजीयन हेतु अमानत राशि का एफ.डी.आर जमा कराया गया है, जिसकी एफ.डी.आर. की वापसी के लिये एजेंसी द्वारा मांग किया जाता है। छ.ग. शासन, लोककर्म विभाग, रायपुर द्वारा एकल प्रणाली में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अतएव जिस एजेंसी द्वारा छ.ग. शासन, लोक कर्म विभाग, रायपुर में पंजीयन करा लिया है और नगर पालिक निगम, भिलाई में पंजीयन के समय एफ.डी.आर. की राशि जमा की गई है उसकी वापसी नियमानुसार करने एवं एजेंसी के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया न हो तो एफ.डी.आर. वापस करने के लिये श्री दीपक जोशी, अधीक्षण अभियंता को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(लोकेश चन्द्राकर)
रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 05/07/2022

पृ. क/एफ-166/स्टे.आयु./2022-23/4412

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. श्री यू.के. धलेन्द्र, अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन -1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य नगर पालिक निगम भिलाई सूचनार्थ।
7. भवन निर्माण अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख नगर पालिक निगम,
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई